न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

| प्रार्थी | विपक्षी |
|---|---|
| श्रीमति अनीसा बीबी पिता इंजर खान | श्री ईसुब खां पिता इंजर खान निवासी पीठ |
| किस्म मुकदमा सह पठित धारा 151, ऑर्डर 39 रूल्स 1व 2 | पत्रावली संख्याः 32/2019 (2019/00057) |

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक 25.02.2020<br><br>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया विवादित भूमि की खातेदार कृषक होकर उनका कब्जा काश्त होने बाबत वकील प्रार्थिया ने निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि प्रार्थिया को ग्राम पीठ में खाता संख्या 85 खसरा नम्बर 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, खेत किता 9 कुल रकबा 38.09 बीघा में प्रार्थिया को खातेदारी विरासती आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट करावे। वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा किसी अन्य को विक्रम, बक्षीस, रहन नहीं करे व अप्रार्थी संख्या 9 ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं करे जिससे वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा हस्तांतरित माना जावे।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील पक्षकारगण की बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रार्थिया को खातेदारी विरासती आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट करावे। वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा किसी अन्य को विक्रम, बक्षीस, रहन नहीं करे व अप्रार्थी संख्या 9 ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं करे जिससे वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा हस्तांतरित माना जावे।<br><br>प्रार्थना पत्र में ता फैसला मूलवाद के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।<br><br>(के.आर.खौड RAS)<br>उपखण्ड मजिस्ट्रेट<br>सीमलवाडा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested